ख़ारिज Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

समक्ष-सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-359/ 2012सी.आई.एस.क्र.-359/2012

बासुदेव यादव एवं अन्य बनाम श्री जगदेव यादव द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
16 /02/26	वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1a से 1f , 2a से 2f एवं 3 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। अन्य प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत संसोधन आवेदन दिनांक 21/05/25 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादपत्र के अनुसूची A में रकबा .37-3/4 डिसमिल गलत दर्ज हो गया है जिसे सुधर कर . 36 डिसमिल 750 वर्ग कड़ी किया जाना एवं थाना नंबर 42 की जगह थाना नंबर 52 किया जाना आवश्यक है। अत: निवेदन है की उक्त संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा की जाय। प्रतिवादी संख्या 1a से 1f , 2a से 2f एवं 3 की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति किया गया है कि वादी को प्लाट 1819 के सही रकबा की जानकारी नहीं है एवं प्रतिवादी के द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया जा चुका है जिस कारण से इस स्तर पर संशोधन करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है। उभयपक्ष को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है की वादी के द्वारा यह संशोधन आवेदन लाया गया है। वादी के द्वारा चाहा गया संसोधन सामान्य प्रकृति का है एवं उससे वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती प्रतीत होती है। अत : वादी के आवेदन को 500 खर्च पर स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी नियत समय में संशोधन करे। वाद दिनांक 16/03/26 वास्ते सुनवाई हेतु नियत। लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	